## Government of India Ministry of Railways (Railway Board)

**RBE No. 83** 

No. F(E)I/2008/AL-28/15

New Delhi, dated 08 .06.2010

The General Managers, All Indian Railways etc. (As per Standard Mailing List)

Sub: Travelling Allowance Rules – Implementation of the Sixth Central Pay Commission – Journey on Transfer.

With reference to Board's letter of even number dated 01.12.2008, a clarification was sought by one of the Federations regarding admissibility of Composite Transfer Grant for short distance transfers/relocation on retirement within urban agglomeration or to an outstation within 20 kms of the old Headquarters. In this context, it is clarified that Board's instructions contained in the letter dated 1.12.2008 are in partial modification of Board's letters No. F(E)I/98/AL-28/10 (A), (B), & (C) dated 01.05.98. Annexure to the said letter dated 1.12.2008 specifically states that the provisions contained therein are applicable w.e.f. 01.09.08 and that all other terms and conditions governing grant of CTG will remain unchanged. Hence, in the cases of transfer of Railway servants to stations which are at a distance of less than 20 Kms from the old station and of transfer within the same city, one-third of the Composite Transfer Grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved. In the case of retiring Railway servants, who settle at the last station of posting itself or within a distance of less than 20 Kms, they may be paid one-third of the Composite Transfer Grant subject to the condition that a change of residence is actually involved.

- 2. Hindi version is enclosed.
- Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director, Finance (Estt.)
Railway Board.

No. F(E)I/2008/AL-28/15

New Delhi, dated 08.06.2010

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

## भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 83

सं. एफ(ई)1/2008/एएल-28/15

नई दिल्ली, दिनांक: 8 .06.2010

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें इत्यादि। (मानक डाक सूची के अनुसार)

विषयः यात्रा भत्ता नियम - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन - स्थानांतरण पर यात्रा।

बोर्ड के दिनांक 01.12.2008 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में एक फेडरेशन द्वारा कम दूरी के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर शहरी क्षेत्र के भीतर अथवा पुराने मुख्यालय के 20 कि.मी. के भीतर किसी आउट स्टेशन पर बसने के लिए संयुक्त स्थानांतरण अनुदान की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 01.12.2008 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश बोर्ड के दिनांक 01.05.1998 के पत्र सं एफ(ई)1/98/एएल-28/10(ए), (बी) एवं (सी) के आंशिक आशोधन में हैं। दिनांक 01.12.2008 के उक्त पत्र के अनुबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इसमें अंतर्विष्ट प्रावधान 01.09.2008 से लागू हैं तथा संयुक्त स्थानांतरण अनुदान को शासित करने वाले अन्य सभी नियम एवं शर्तें वही रहेंगी। अतः रेलवे कर्मचारी के पुराने स्टेशन से 20 कि.मी. से कम की दूरी के स्टेशन पर तथा उसी स्टेशन के भीतर स्थानांतरण के मामले में, एक तिहाई संयुक्त स्थानांतरण अनुदान स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि उसने वास्तव में आवास बदला हो। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो तैनाती के अंतिम स्टेशन पर ही अथवा 20 कि.मी. से कम की दूरी के भीतर बस जाते हैं, के मामले में संयुक्त स्थानांतरण अनुदान के एक तिहाई का भुगतान किया जाएगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि आवास वास्तव में बदला गया हो।

2. कृपया पावती दें।

भागती भागती

(सोनाली चतुर्वेदी) उप निदेशक, वित्त (स्था.) रेलवे बोर्ड